प्रेषक,

जनपद न्यायाधीश,
शाहजहॉपुर।

सेवा में,

महानिबन्धक,
माननीय उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद।

पत्रांक संख्या– 788 /पन्द्रह दिनांक–05–06–2020

विषय– Mechanism/Modalities for functioning of District Court & outlying Courts of Shahjahanpur District, not falling under containment zone during COVID-19 pandemic.

महोदय,

ससम्मान निवेदन है कि माननीय न्यायालय के पत्र संख्या–1108/LXXXVII–सी0पी0सी0/ई–कोर्ट्स/इलाहाबाद/दिनांकित 20 मई, 2020 तथा सी0पी0सी0 ई–कोर्ट प्रोजेक्ट इलाहाबाद के ई–मेल दिनांकित 01.06.2020 के अनुपालन के सन्दर्भ में कोरोना समिति, जनपद न्यायालय, शाहजहॉपुर को दैनिक कार्यवाही की रिपोर्ट अधोहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया था, जिसके अनुपालन में कोरोना समिति द्वारा आज दिनांक 05–06–2020 को आख्या अधोहस्ताक्षरी को प्रस्तुत की गयी है।

उक्त आख्या की छायाप्रति इस पत्र के साथ संलग्न कर माननीय न्यायालय के अवलोकनार्थ सादर प्रेषित की जा रही है।

दिनांक– 05–06–2020
संलग्नक–यथोक्त।

भवदीय

Devendra Singh
05.06.2020

प्रभारी जनपद न्यायाधीश,
शाहजहॉपुर।

प्रेषक,

कोरोना समिति,
जनपद न्यायालय, शाहजहॉपुर।

सेवा में,

माननीय जनपद न्यायाधीश,
शाहजहॉपुर।

विषयः **कोरोना वायरस के प्रसार के खतरे को रोकने के लिए निवारक एवं उपचारात्मक प्रयास करने के सन्दर्भ में दैनिक कार्यवाही की रिपोर्ट प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

.माननीय उच्च न्यायालय के पत्र संख्या– 1108/LXXXVII–CPC/e-Courts/ Allahabad/ दिनांकित 20.05.2020 तथा सी0पी0सी0 ई–कोर्ट प्रोजेक्ट इलाहाबाद के ई–मेल दिनांकित 01.06.2020 में दिये गये निर्देशों के अनुक्रम में माननीय महोदय के सम्मानित प्रशासनिक आदेश संख्या–116/2020 दिनांकित 21.05.2020 तथा प्रशासनिक आदेश संख्या–120/2020 दिनांकित 02.06.2020 के अनुपालन में, कोरोना समिति द्वारा कोरोना वायरस के प्रसार के खतरे को रोकने के लिए निवारक एवं उपचारात्मक प्रयासों तथा न्यायालयों की कार्यवाही के सम्बन्ध में आज **दिनांक 05.06.2020** को सम्पादित कार्य का विवरण निम्नवत् है :–

1. माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में जिलाधिकारी कार्यालय के पत्रांक संख्या 136/कोविड–19/2020–2021 दिनांकित 05.06.2020 द्वारा अवगत कराया गया कि **जनपद मुख्यालय शाहजहॉपुर एवं बाह्य न्यायालय तिलहर, जलालाबाद तथा पुवायां कन्टेनमेंट जोन में नहीं है। उल्लेखनीय है कि जिलाधिकारी कार्यालय द्वारा जनपद के जोन के स्टेटस (ग्रीन/ऑरेन्ज/रेड) के सम्बन्ध में आख्या नहीं दी गई है।** तदैव माननीय उच्च न्यायालय के अनुसार ही जनपद न्यायालय शाहजहॉपुर एवं बाह्य न्यायालय तिलहर, जलालाबाद तथा पुवायां वर्णित प्रकृति के अर्जेण्ट कार्य सम्पादन हेतु खोले गये हैं।
2. आज न्यायालय खुलने से पूर्व जिला प्रशासन एवं नगर निगम से समन्वय स्थापित करके जनपद न्यायालय परिसर एवं बाह्य न्यायालयों की समुचित साफ–सफाई के उपरान्त उचित रीति से सेनेटाइजेशन कराया गया। सभी न्यायालय कक्षों, कार्यालय कक्षों, विश्राम कक्षों एवं न्यायालय परिसर के सभी स्थलों पर साफ सफाई करायी गयी है। न्यायालय परिसर में फॉगिंग करायी गयी है। न्यायालय परिसर का सेनेटाइजेशन दिन में दो बार अर्थात न्यायालय प्रारम्भ होने से पूर्व तथा न्यायालयों की कार्यवाही समाप्त होने के उपरान्त कराया जा रहा है। बाह्य न्यायालय तिलहर, पुवायां एवं जलालाबाद के परिसर का उचित रीति से सेनेटाइजेशन कराया गया है।
3. न्यायालय परिसर में प्रवेश करने वाले प्रत्येक व्यक्ति की तापीय जांच (thermal scanning) करायी जा रही है। यह कार्य जिला प्रशासन द्वारा पूर्व में उपलब्ध कराये गये दो इन्फ्रारेड नो कान्टेक्ट टेम्प्रेचर थर्मामीटर द्वारा किया जा रहा है। न्यायालय परिसर में प्रवेश करने वाले व्यक्तियों की थर्मल स्कैनिंग के उपरान्त ही, उन्हें न्यायालय परिसर में प्रवेश दिया जा रहा है।
4. **आज दिनांक 05.06.2020 को जनपद मुख्यालय पर अर्जेण्ट कार्य सम्पादित करने वाले न्यायालयों में कुल 11 न्यायिक अधिकारी उपस्थित आये हैं तथा वाह्य न्यायालय तिलहर एवं पुवांया पर अर्जेण्ट कार्य सम्पादित करने वाले न्यायालयों में कुल 02 न्यायिक अधिकारी उपस्थित आये हैं।**
5. **जनपद न्यायालय में तृतीय श्रेणी एवं चतुर्थ श्रेणी के कुल कार्यरत कर्मचारीगण की संख्या 305 है। आज दिनांक 05.06.2020 को जनपद मुख्यालय पर सभी न्यायालयों एवं प्रशासनिक अनुभागों में कुल 79 कर्मचारीगण उपस्थित आये हैं, तथा वाह्य न्यायालयों में 09 कर्मचारी उपस्थित आयें है।** सभी न्यायालयों एवं प्रशासनिक अनुभागों द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार न्यूनतम कर्मचारियों की उपस्थिति के आधार पर ही कार्य सम्पादित कराया गया है।
6. वर्णित प्रकृति के अर्जेण्ट कार्य सम्पादित करने वाले न्यायालयों के अतिरिक्त अन्य सभी न्यायालयों द्वारा अपने–अपने न्यायालयों के लम्बित मामलों में प्रकृतिवार सामान्य तिथियां नियत की गयी हैं, जिसकी समेकित सूचना सभी न्यायालयों के कक्षों के बाहर सूचना पटल पर, न्यायालय के विभिन्न गेटों पर चस्पा की गयी है तथा एक प्रति सेन्ट्रल बार एसोसिएशन के

कार्यालय को प्रेषित की गयी है। सभी न्यायालयों द्वारा सामान्य तिथियों को सी.आई.एस. पर भी अपलोड किया जा रहा है और वाट्सएप्प मोबाइल अप्लीकेशन द्वारा भी अधिवक्तागण को सूचित किया गया है।

7. अर्जेण्ट प्रकृति के मामलों के प्रार्थना पत्र को जूडिशियल सर्विस सेन्टर/कम्प्यूटर अनुभाग के ई–फाइलिंग काउण्टर पर दाखिल किया जा रहा है और सामाजिक दूरी का पालन सुनिश्चित कराया जा रहा है।
8. जनपद न्यायालय शाहजहॉपुर की समर्पित (dedicated) ई–मेल आई.डी. **districtcourtspn@gmail.com** है। इस ई–मेल आई0डी0 पर आज दिनांक 05.06.2020 को कोई भी आवेदन पत्र, जमानत प्रार्थनापत्र, बहस इत्यादि प्रस्तुत नहीं किया गया है।
9. विचाराधीन बन्दियों का रिमाण्ड कार्य आदि केवल वीडियों कान्फ्रेसिंग के माध्यम से ही किया जा रहा है और किसी भी बन्दी को सुनवाई हेतु न्यायालय नहीं लाया जा रहा है।
10. माननीय न्यायालय के निर्देशानुसार किसी न्यायिक अधिकारी/अधिवक्ता की मांग पर वीडियो कान्फ्रेसिंग के माध्यम से सुनवाई हेतु वर्चुअल कोर्ट स्थापित एवं कार्यशील है। यदि किसी न्यायिक अधिकारी/अधिवक्ता द्वारा पूर्व सूचना देकर वर्चुअल कोर्ट से सुनवाई की मांग की जाती है, तो यह सुविधा उपलब्ध करा दी जाएगी।
11. माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि सभी व्यक्ति न्यायालय परिसर में मास्क लगाकर ही प्रवेश करें।
12. वर्णित प्रकृति के अर्जेण्ट मामलों की सुनवाई करने वाले न्यायालय कक्षों में नियमानुसार प्रबन्ध किया गया है एवं उचित दूरी पर अधिवक्तागण के बैठने हेतु चार कुर्सियॉ रखी गयी हैं। सामाजिक दूरी का पालन किया जा रहा है। साथ ही न्यायालय कक्ष के गेट पर न्यायालय के कर्मचारी के सहयोग से, कक्ष में प्रवेश करने वाले सभी व्यक्तियों के हाथों को एल्कोहल मिश्रित सेनेटाइजर से सेनेटाइज कराया जा रहा है।
13. वर्णित प्रकृति का अर्जेण्ट कार्य सम्पादित करने वाले सभी न्यायालयों द्वारा आज की तिथि पर विचारित किये गये मामलों की संख्या तथा उनके द्वारा निस्तारित मामलों की संख्या, इस अनुपालन आख्या के साथ सारणी रूप में संलग्न की जा रही है।
14. अधिवक्ताओं एवं वादकारियों को ई–कोर्ट सर्विसेज एप के अधिकाधिक प्रयोग के लिये जागरूक किया जा रहा है। साथ ही जनपद न्यायालय के डेडीकेटेड ई–मेल सेवा के बारे में भी अवगत कराया जा रहा है। सभी न्यायालयों की सामान्य तिथियों की समेकित सूचना वाट्सएप के माध्यम से मोबाईल द्वारा अधिवक्ताओं के मध्य परिचालित करायी जा रही है।

उपरोक्तानुसार समिति की दैनिक अनुपालन रिपोर्ट माननीय महोदय के समक्ष अवलोकनार्थ सादर प्रस्तुत है।

दिनांकः 05.06.2020

संलग्नक : यथोक्त

(सौरभ द्विवेदी)
सदस्य, कोरोना समिति/
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
शाहजहॉपुर।

(सुरजन सिंह) 05.06.20
सदस्य, कोरोना समिति/
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
शाहजहॉपुर।

(किरन पाल सिंह) 05.6.2020
अध्यक्ष, कोरोना समिति/
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
शाहजहॉपुर।

(रमेश चन्द्र मिश्रा) 5-6-2020.
सदस्य, कोरोना समिति/
प्रभारी मुख्य प्रशासनिक अधिकारी,
जनपद न्यायालय, शाहजहॉपुर।

(कुलदीप कुमार) 05/06/2020
सदस्य, कोरोना समिति/
न्यायालय प्रबन्धक,
जनपद न्यायालय, शाहजहॉपुर।

Seen.
05.06.2020
I/c DJ.

कार्यालय जनपद एवं सत्र न्यायाधीश, शाहजहाँपुर

प्रशासनिक आदेश संख्या – 121 /2020

माननीय उच्च न्यायालय के पत्र संख्या 1117/LXXXVII-CPC/e-Courts/ इलाहाबाद दिनांकित 03.06.2020 में दिये गये निर्देश के अनुपालन में जनपद न्यायालय शाहजहाँपुर **(जनपद न्यायालय, बाह्य न्यायालय तिलहर, पुवांया व जलालाबाद को कन्टेनमेन्ट जोने में न होने के आधार पर)** दिनांक 08.06.2020 से कार्य सम्पादन हेतु निर्देशित कार्य योजना के अनुसार खोला जाना है। माननीय न्यायालय के निर्देशानुसार न्यायालयों को कार्य सम्पादन हेतु खोले जाने के सम्बन्ध में कार्य योजना/तौर तरीके तय किये जाने तथा समन्वय हेतु सेन्ट्रल बार एसोसियेशन के पदाधिकारियों एवं जनपद न्यायालय की कोरोना समिति तथा सुरक्षा व अनुपालन समिति के न्यायिक अधिकारियों के साथ कृत बैठक दिनांकित 04.06.2020 में लिये निर्णयों के अनुसार **माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार दिनांक 08.06.2020 से अग्रिम आदेश तक के लिये** निम्नवत कार्य योजना प्रस्तावित एवं लागू की जाती है –

1. **इस न्यायिक अधिष्ठान के सभी न्यायालय (बाह्य न्यायालय तिलहर, पुवायाँ एवं जलालाबाद को सम्मिलित करते हुये) न्यायिक कार्य एवं प्रशासनिक मामलों के निस्तारण हेतु विद्यमान उपबन्धों, नियमों, समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशों एवं परिपत्रों के अनुसार, दिनांक 08.06.2020 से क्रियाशील होंगे।**
2. **माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पत्र संख्या 484/इन्फ्रा.सेल : इलाहाबाद दिनांकित 30.05.2020 के माध्यम से दिये गये निर्देशों का कठोरता के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।**
3. कार्य को सम्पादित करने वाले न्यायालयों के पीठासीन अधिकारीगण, उनके कर्मचारीगण एवं प्रशासनिक अनुभागों के कर्मचारीगण को न्यायालय की सम्पूर्ण अवधि तक न्यायालय परिसर में रुकने की आवश्यकता नहीं है। यदि उनके न्यायालय/कार्यालय/प्रशासनिक अनुभाग का कार्य पूर्ण हो चुका है तो वह न्यायालय परिसर छोड़कर जा सकते हैं।
4. **न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट), कोर्ट संख्या–08 के मामलों की सुनवाई वर्चुअल कोर्ट द्वारा की जायेगी। न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय (जोकि वर्तमान में रिक्त है) के न्यायालय कक्ष में वर्चुअल कोर्ट द्वारा वीडियो कान्फ्रेन्सिंग (JITSI Software – LAN Version) के माध्यम से सुनवाई का उपबन्ध क्रियाशील रहेगा, अधिवक्तागण इसी पटल से उपरोक्त न्यायालय से सम्बन्धित अपने मामलों का पक्ष प्रस्तुत करेंगे।** नोडल अधिकारी कम्प्यूटर इस हेतु आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें। नोडल अधिकारी को यह भी आदेशित किया जाता है कि वह इस सम्भाव्यता पर आख्या दें कि क्या एक से अधिक कक्षों में वर्चुअल कोर्ट द्वारा सुनवाई हेतु उपबन्ध किया जा सकता हैं अथवा नहीं ? साथ ही इस सम्भाव्यता के सम्बन्ध में भी आख्या प्रस्तुत करें कि जित्सी–मीट की वेबसाइट (JITSI Meet Website – https://meet.jit.si/) द्वारा न्यायालय की कार्यवाहियों की सुनवाई सम्भव है अथवा नहीं ?
5. विचाराधीन बन्दियों के मामलों का रिमाण्ड /अन्य न्यायिक कार्य अग्रिम आदेश तक वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से ही किया जायेगा और विचाराधीन बन्दियों को किसी भी दशा में सुनवाई हेतु न्यायालय में नहीं बुलाया जायेगा। **उक्त रिमाण्ड कार्य पूर्व आदेशानुसार (प्रशासनिक आदेश संख्या–114/2020 दिनांकित 18.05.2020 के अनुसार) ही वीडियो कान्फ्रेन्सिंग के माध्यम से सम्बन्धित न्यायिक अधिकारियों द्वारा सम्पादित किया जायेगा। जहाँ आवश्यक हो, वहाँ जित्सी वीडियो कान्फ्रेन्सिंग सॉफ्टवेयर भी रिमाण्ड/अन्य न्यायिक कार्य के लिये प्रयोग किया जा सकता है।**
6. सभी अधिवक्तागण एवं वादकारीगण नये वाद/प्रार्थनापत्र ज्यूडीशियल सर्विस सेन्टर/कम्प्यूटर अनुभाग के ई–फाइलिंग काउन्टर पर दाखिल करेंगे, जिन्हें सी०आई०एस० पर नियमानुसार दर्ज किया जायेगा । दाखिला के समय सामाजिक दूरी के नियमों का अनुपालन किया जायेगा। केन्द्रीय नाजिर को आदेशित किया जाता है कि ई–फाइलिंग काउन्टर के बाहर खड़े होने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिये दो गज की दूरी पर सर्किल/निशान बनाया जाना सुनिश्चित करें, जिससे सामाजिक दूरी के नियम का पालन सुगमतापूर्वक किया जा सके। इस हेतु अधिवक्तागण एवं वादकारियों का सहयोग अपेक्षित है। सभी अधिवक्तागण द्वारा यह

भी सुनिश्चित किया जाये कि उनके द्वारा दाखिल किये जाने वाले अर्जेन्ट प्रार्थना पत्रों पर उनका [illegible] नम्बर अंकित हो, जिससे सम्बन्धित प्रार्थनापत्र में किसी कमी की दशा में उन्हें अविलम्ब सूचित [illegible] सके। सभी जमानत प्रार्थनापत्रों, अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्रों की प्रति अभियोजन/जिला शा[illegible] अधिवक्ता (फौजदारी) को प्राप्त करायी जायेगी। यदि सम्बन्धित प्रकृति का प्रार्थनापत्र कम्प्यूटर ई–[illegible] के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है तो उक्त प्रार्थनापत्र की प्रति ई–मेल के माध्यम से [illegible] अभियोजन/जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) को कम्प्यूटर अनुभाग द्वारा प्राप्त करा दी जाये। नोडल अधिकारी इस सम्बन्ध में अभियोजन/जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी से आवश्यक समन्वय स्थापित करें।

7. कम्प्यूटर अनुभाग द्वारा ज्यूडीशियल सर्विस सेन्टर पर आने वाले सभी विद्वान अधिवक्तागण को ई–कोर्ट्स एप के बारे में सूचित किया जायेगा, जिससे वह नियत मामलों/काजलिस्ट को उक्त एप के माध्यम से देख सकें।

8. माननीय न्यायालय के निर्देशानुसार समर्पित (Dedicated) ई–मेल की सुविधा जारी रहेगी। जिसकी आई०डी० districtcourtspn@gmail.com है। कोई भी अधिवक्ता अपने–अपने जमानत प्रार्थनापत्र, अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र, आवश्यक प्रकृति के अन्य प्रार्थनापत्र एवं लिखित बहस को वैकल्पिक प्रणाली के रूप में समर्पित ई–मेल सेवा पर प्रस्तुत कर सकते हैं, जिन्हें सुनवाई हेतु सम्बन्धित न्यायालय को प्राप्त कराया जायेगा। सम्बन्धित न्यायालय द्वारा उक्त मामलों का विधि अनुसार निस्तारण किया जायेगा।

9. सभी न्यायालय कक्षों में अधिवक्तागण के बैठने के लिये केवल 04 कुर्सियों को उचित दूरी पर रखी जायें। केन्द्रीय नाजिर उक्त व्यवस्था को सुनिश्चित करेंगे। न्यायालय परिसर एवं न्यायालय कक्ष में प्रवेश करने वाले सभी व्यक्तियों को फेस–मास्क अनिवार्य रूप से धारण करना होगा। यदि उनके पास फेस मास्क उपलब्ध नहीं है तो वह गमछे अथवा सूती रूमाल को दोहरा करके मुंह – नाक को ढककर ही न्यायालय परिसर एवं न्यायालय कक्ष में प्रवेश करेंगे। सभी न्यायालय कक्षों के प्रवेश द्वार पर उस न्यायालय के चतुर्थश्रेणी कर्मचारी द्वारा अल्कोहल मिश्रित द्रव्य/सेनेटाइजर से न्यायालय कक्ष में प्रवेश करने वाले सभी व्यक्तियों को सेनेटाइज किया जायेगा और न्यायालय कक्ष में अधिक संख्या में प्रवेश करने वाले लोगों को नियंत्रित भी किया जायेगा। सुरक्षा बल के सदस्य भी यह सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी न्यायालय कक्ष में सभी लोग मास्क लगाकर ही प्रवेश करें तथा एक साथ अधिक संख्या में लोगों का प्रवेश न हो। अधिवक्ता संघ के पदाधिकारियों द्वारा इस सम्बन्ध में पूर्ण सहयोग का आश्वासन भी दिया है। न्यायालय कक्ष में सुनवाई के दौरान सामाजिक दूरी के नियम का पालन सभी व्यक्तियों अर्थात कर्मचारीगण, वादकारीगण, अधिवक्तागण आदि द्वारा आवश्यक रूप से किया जायेगा।

10. न्यायालय परिसर में अनावश्यक भीड़ का प्रवेश रोकने के लिये सभी अधिवक्तागण से अपेक्षा की गयी है कि केवल वही अधिवक्तागण न्यायालय आयें जिनके मामले सुनवाई हेतु नियत हैं। वह अधिवक्ता अपने साथ अनावश्यक साथियों एवं वादकारियों को न्यायालय परिसर एवं न्यायालय कक्ष में लाने से बचें। उनके मामले की सुनवाई के उपरान्त वह न्यायालय कक्ष छोड़कर अपने साथी अधिवक्ता को सुनवाई का अवसर दें। अधिवक्ता संघ के पदाधिकारियों द्वारा इस सम्बन्ध में पूर्ण सहयोग का आश्वासन भी दिया है।

11. मामलों की सुनवाई के दौरान न्यायालयों के पीठासीन अधिकारीगण एक समय पर पक्षकारों/अधिवक्ताओं की न्यूनतम उपस्थिति के लिये हरसंभव प्रयास करेंगे, जिससे सामाजिक दूरी के दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके। पीठासीन अधिकारीगण वादकारियों की न्यायालय में उपस्थिति को रोकेंगे नही, जब तक कि वह बीमारी से ग्रसित नहीं है। परन्तु वह सुनवाई के दौरान न्यायालय कक्ष में उनके प्रवेश को सीमित करने के लिये अधिकृत होंगे।

12. **कोरोना समिति को आदेशित किया जाता है कि वह जिलाधिकारी कार्यालय से इस आशय की दैनिक रिपोर्ट मॅगाया जाना सुनिश्चित करें कि जनपद शाहजहाँपुर में कोरोना वायरस के प्रसार के खतरे का स्तर क्या है तथा जनपद न्यायालय परिसर एवं बाह्य न्यायालयों तिलहर, पुवायां व जलालाबाद के परिसर कन्टेनमेन्ट जोन में है अथवा नही ? यदि जनपद न्यायालय अथवा बाह्य न्यायालय कन्टेनमेन्ट जोन में हैं तो उक्त न्यायालय माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार तब तक बन्द रहेंगे, जबतक वह कन्टेनमेन्ट जोन में हैं।**

13. कोरोना समिति एवं केन्द्रीय नाजिर को आदेशित किया जाता है कि वह नगर निगम, जिला मजिस्ट्रेट, मुख्य चिकित्सा अधिकारी /मुख्य चिकित्सा अधीक्षक से समन्वय स्थापित करके न्यायालय परिसर की

दैनिक साफ–सफाई एवं दो बार सैनीटाइजेशन (चिकित्सीय दिशा निर्देशों के अनुसार ही) कराया जाना अर्थात न्यायालय प्रारम्भ होने के पूर्व एवं कार्यवाही समाप्त होने के उपरान्त, पूर्व की भांति सुनिश्चित करें। बाह्य न्यायालय के पीठासीन अधिकारीगण स्थानीय तहसील प्रशासन एवं नगर पालिका से समन्वय स्थापित करके उक्त कार्य सम्पादित करायेंगे। उक्त कार्य की दैनिक रिपोर्ट कोरोना समिति को प्राप्त कराया जाना सुनिश्चित करें। **यदि जनपद न्यायालय एवं बाह्य न्यायालय परिसरों का सेनेटाइजेशन नहीं कराया जाता है, तो न्यायालय परिसर कार्य सम्पादन हेतु नहीं खोला जायेगा और उसकी सूचना जिला प्रशासन एवं माननीय उच्च न्यायालय को प्रेषित की जायेगी।**

14. न्यायालय परिसर में प्रत्येक व्यक्ति को तापीय जाँच (Thermal Scanning) के उपरान्त ही प्रवेश सुनिश्चित किया जाये और इस हेतु जिला मजिस्ट्रेट, मुख्य चिकित्सा अधिकारी /मुख्य चिकित्सा अधीक्षक का सहयोग प्राप्त किया जाये एवं तापीय जाँच के पर्याप्त उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाये। साथ ही सुरक्षा एवं अनुपालन समिति यह सुनिश्चित करे कि सुरक्षा कार्य में लगे व्यक्तियों द्वारा न्यायालय परिसर में प्रवेश करने वाले व्यक्तियों की तापीय जाँच की जायेगी और किसी व्यक्ति के बीमार पाये जाने पर उसे न्यायालय परिसर में प्रवेश करने से रोकेगें और उपचार हेतु चिकित्सालय जाने के लिये निर्देशित करेंगें। तापीय जॉच में सभी अधिकारीगण, कर्मचारीगण, वादकारीगण एवं अधिवक्तागण द्वारा सुरक्षा बल के सदस्यों का समुचित सहयोग किया जायेगा।
15. सभी पीठासीन अधिकारियों द्वारा कोविड–19 के सन्दर्भ में माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा दिये गये निर्देशों तथा केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा जारी सभी निर्देशों/गाइड लाईन का अनुपालन किया जायेगा।
16. माननीय न्यायालय के निर्देशानुसार जनपद न्यायालय शाहजहाँपुर की समर्पित (Dedicated) दूरभाष सेवा 05842–222281 तथा 8707433601 है। इसका प्रसार जनपद न्यायालय की कम्प्यूटर वेबसाइट पर भी किया जाये। नोडल अधिकारी इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही करें। सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को आदेशित किया जाता है कि वह अपने कार्यालय सहयोगियों/पराविधिक स्वयं सेवकों के सहयोग से उक्त सुविधा का नियमित संचालन सुनिश्चित करायेंगे।
17. सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को आदेशित किया जाता है कि वह सभी अधिवक्तागण, वादकारीगण को उक्त दूरभाष सेवा के माध्यम से, हैन्डबिल व प्लाकार्ड के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से एवं अन्य प्रकार से न्यायालयों के कार्य करने के सम्बन्ध में कार्य योजना, विभिन्न न्यायालयों के बैठने की समयावधि, ई–कोर्ट्स सर्विसेस एप, जनपद न्यायालय की वेबसाइट, वादों के नियतीकरण/काजलिस्ट, न्यायालयों द्वारा नियत अग्रिम सामान्य तिथि आदि की जानकारी नियमित रूप से प्रचारित, प्रसारित एवं प्रकाशित कराया जाना सुनिश्चित करें। सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण इस आशय की सूचना भी नियमित रूप से प्रसारित, प्रचारित एवं प्रकाशित करायें कि वादकारीगण एवं अधिवक्तागण न्यायालय में नियत वादों की तिथि की जानकारी के लिये अनावश्यक न्यायालय आने से बचें। न्यायालय में नियत वादों की तिथि की जानकारी कम्प्यूटर वेबसाइट, ई–कोर्ट्स सर्विसेस एप, गेटों एवं नोटिस बोर्ड पर चस्पा सूचना के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है। वादकारीगण अपने – अपने अधिवक्तागण से भी अपने मामलों की तिथि की जानकारी दूरभाष से प्राप्त कर सकते हैं और इसके लिये उन्हे न्यायालय आने की आवश्यकता नहीं है। सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भी अपने कार्यक्रमों के दौरान न्यायालयों की कार्यवाही की जानकारी एवं ई–कोर्ट्स एप के प्रयोग के लिये सभी को जागरुक एवं प्रेरित करें। जिससे न्यायालयों में वादकारियों की अनावश्यक भीड को नियंत्रित/कम किया जा सके।
18. नोडल अधिकारी कम्प्यूटर को आदेशित किया जाता है कि वह जनपद न्यायालय शाहजहाँपुर की कम्प्यूटर वेब–साइट पर भी उक्त जानकारी का प्रसार करें।
19. सेन्ट्रल बार एसोसिएशन के अध्यक्ष एवं सचिव से पुनः यह अपेक्षा है कि वह अधिकाधिक अधिवक्तागण एवं वादकारियों को ई–कोर्ट्स सर्विसेस एप के प्रयोग के लिये जागरुक करें। यह एप मोबाइल फोन पर गूगल प्ले–स्टोर से डाऊनलोड किया जा सकता है । इस एप के प्रयोग द्वारा वादों की तिथि एवं कार्यवाहियों की जानकारी सुगमतापूर्वक एवं घर बैठे ही प्राप्त की जा सकती है।
20. न्यायालयों की कार्यवाहियों के दौरान पुरुष अधिवक्तागण सफेद शर्ट, हल्के रंग का पैन्ट एवं बैंड धारण कर सकेंगे तथा महिला अधिवक्तागण शालीन परिधान (Sober Dress) एवं बैंड धारण कर सकेंगी।
21. न्यायालयों की कार्यवाहियों के दौरान न्यायिक अधिकारीगण गाऊन एवं कोट धारण करने से मुक्त रहेंगे।

22. माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश के अनुसार जिन मामलों की सुनवाई नहीं की जानी है, सभी न्यायालयों द्वारा उनमें सामान्य तिथि नियत करते हुये उसकी सूचना प्रशासनिक कार्यालय को प्रातः 11.00 बजे तक आवश्यक रूप से प्राप्त करा दी जाये तथा एक प्रति अपने – अपने न्यायालय कक्ष के बाहर सूचना पटल पर चस्पा की जाये। प्रशासनिक कार्यालय द्वारा सभी न्यायालयों की संकलित सूचना को न्यायालय परिसर के गेट संख्या 02 एवं 04 पर चस्पा करायी जाये और उसकी एक प्रति अधिवक्ता संघ को भी प्रेषित की जाये। सामान्य तिथि की जानकारी वाट्सएप मोबाइल एप के माध्यम से भी अधिवक्तागण के मध्य प्रसारित करा दी जाये। दैनिक समाचार पत्रों में भी सामान्य तिथि की जानकारी प्रकाशित करायी जाये। सभी न्यायालयों के पीठासीन अधिकारी यह भी सुनिश्चित करें कि वादों में नियत सामान्य तिथि को सी०आई०एस० पर भी अविलम्ब फीड करा दिया जाये।

23. न्यायालय परिसर का गेट संख्या 06 अग्रिम आदेश तक पूर्ववत बन्द रहेगा। न्यायालय परिसर के गेट संख्या 01 से अधिकारी एवं कर्मचारीगण, गेट संख्या 02 से वादकारीगण एवं अन्य आगन्तुक तथा गेट संख्या 04 से केवल अधिवक्तागण ही पूर्व के आदेशानुसार प्रवेश करेंगे ।

24. न्यायालय परिसर की कैन्टीन अग्रिम आदेश तक पूर्ववत बन्द रहेगी।

25. सुरक्षा बल के सदस्य यह सुनिश्चित करें कि न्यायालय में वादकारियों के प्रवेश को निर्बन्धित न किया जाये बल्कि सभी सावधानियों को अपनाते हुये आवश्यकतानुसार सीमित प्रवेश दिया जाये।

26. केन्द्रीय नाजिर एवं न्यायालय प्रबन्धक को आदेशित किया जाता है कि न्यायालय परिसर के गेटों एवं अन्य सहज दृश्य स्थलों पर निम्न आशय की सूचना लिखवायें/चस्पा करायें कि –

    i. न्यायालय परिसर में फेस मास्क लगाकर ही प्रवेश करें,
    ii. सामाजिक दूरी के नियमों का पालन करें,
    iii. न्यायालय परिसर में थूकना, पान–मसाला खाना, धूम्रपान करना वर्जित एवं दण्डनीय है,
    iv. वादों की तिथि की जानकारी कम्प्यूटर वेबसाइट, ई–कोर्ट्स सर्विसेज एप अथवा अपने अधिवक्ता से दूरभाष से प्राप्त कर सकते हैं,
    v. न्यायालय परिसर में अनावश्यक विचरण न करें एवं एकत्रित न हों ।

27. सभी न्यायालयों प्रतिदिन सायं 04.00 बजे अथवा उसके पूर्व इस आशय की सूचना प्रशासनिक कार्यालय को प्राप्त कराया जाना सुनिश्चित करें कि उनके न्यायालय में सम्बन्धित प्रकृति के कितने वाद/प्रार्थनापत्र/मामले दाखिल हुये और उनके द्वारा कितने मामलों का निस्तारण किया गया।

28. सभी न्यायालय के पीठासीन अधिकारीगण अपेक्षित सूचनाओं को ससमय प्रशासनिक कार्यालय एवं कोरोना समिति को प्राप्त कराया जाना सुनिश्चित करें। कोरोना समिति सूचनाओं को संकलित करके दैनिक अनुपालन आख्या माननीय उच्च न्यायालय को संप्रेषित कराया जाना सुनिश्चित करे।

आदेश की प्रति समस्त न्यायिक अधिकारियों एवं कर्मचारियों के मध्य परिचालित की जाये।

आदेश की एक–एक प्रति जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, नगर आयुक्त, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, कारागार अधीक्षक, सेन्ट्रल बार एसोसिएशन को प्रेषित की जाये तथा सार्वजनिक सूचना पटल, न्यायालय के विभिन्न गेटों, बाह्य न्यायालयों के सूचना पटल इत्यादि पर चस्पा करायी जाये।

आदेश की प्रति जनपद न्यायालय की कम्प्यूटर वेबसाइट पर भी अपलोड की जाये।

आदेश की एक प्रति सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को इस कार्य–योजना के प्रचार प्रसार एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाये। इस आदेश की एक प्रति जिला सूचना अधिकारी को सम्पूर्ण कार्ययोजना के समाचार पत्रों में प्रकाशन हेतु प्रेषित की जाये।

इस कार्य योजना/आदेश की एक प्रति माननीय उच्च न्यायालय को अवलोकनार्थ सादर प्रेषित की जाये ।

Anuradha Singh
04.06.2020

दिनांक – 04.06.2020

प्रभारी जनपद एवं सत्र न्यायाधीश,
शाहजहाँपुर ।

प्रेषक,

जिलाधिकारी,
शाहजहाँपुर।

सेवा में,

अध्यक्ष,
कोरोना समिति/
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
शाहजहाँपुर।

संख्या 136 /कोविड–19/2020–2021 दिनांक 05 जून,2020

विषय : **कोरोना वायरस के प्रसार के खतरे के दृष्टिगत जनपद मुख्यालय शाहजहाँपुर एवं तहसील तिलहर, पुवायाँ व जलालाबाद की जोन की स्थिति की रिपोर्ट उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या–702/XV दिनांक 21 मई, 2020 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें कोरोना वायरस के प्रसार के खतरे के दृष्टिगत जनपद मुख्यालय शाहजहाँपुर एवं तहसील तिलहर व जलालाबाद की जोन की स्थिति की दैनिक आख्या प्रतिदिन उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी है।

उक्त के क्रम में सादर अवगत कराना है कि भारत सरकार की नयी गाइड लाइन्स के अनुसार जनपद न्यायालय का परिक्षेत्र तथा तिलहर,पुवायाँ व जलालाबाद न्यायालय का परिक्षेत्र कन्टेनमेन्ट जोन से बाहर है।

सादर सूचनार्थ प्रेषित।

भवदीय

अपर जिलाधिकारी (प्रशासन),
नोडल आफिसर,
शाहजहाँपुर।

NUMBER OF CASES TAKEN UP AND DECIDED CHART

In the compliance of Hon'ble High Courts Letter no. 1108/LXXXVII-CPC/e-Courts/Allahabad, dated- 20.05.2020, in today's NUMBER OF CASES TAKEN UP AND DECIDED are as follows-

Date-05.06.2020

SR. NO	NAME OF COURT	NO. OF CASES TAKEN UP	NO. OF CASES DECIDED	HOW MANY CASES WERE DECIDED BY VIRTUAL COURT	NO. OF APPLICATIONS RECEIVED BY EMAIL TODAY	DAILY STATUS OF REMAND			SIGNATURE
						IN HOW MANY CASES REMAND OF UNDER TRIAL PRISONERS CARRIED OUT	IN HOW MANY CASES JUDICIAL WORK, EXCEPT REMAND OF UNDER TRIAL PRISONERS CARRIED OUT	NO. OF UNDER TRIAL PRISONERS COVERED	
1	District & Sessions Judge	25	4	0	0	0	0	0	
2	Principal Judge, Family Court	3	0	0	0	0	0	0	
3	A.D.S. J, Court No. 1	3	0	0	0	0	0	0	
4	A.D.S. J, Court No. 2	16	7	0	0	0	0	0	
5	A.D.S. J, Court No. 4	0	0	0	0	0	0	0	
6	A.D.S. J, Court No. 8	9	4	0	0	0	0	0	
7	A.D.S. J, Court No. 9	0	0	0	0	0	0	0	
8	A.D.S. J, Court No. 5	10	5	0	0	0	0	0	
9	Chief Judicial Magistrate	12	12	0	0	12	2	14	
10	Civil Judge (S.D.)	27	0	0	0	0	0	0	
11	A.C.J.M- I	4	1	0	0	0	0	0	
12	Civil Judge (J.D.)	0	0	0	0	0	0	0	
	Sub Total	**109**	**33**	**0**	**0**	**12**	**2**	14	
13	Civil Judge (J.D.), Tilhar (Outlying Court)	0	0	0	0	0	0	0	
14	Civil Judge (J.D.), Puwayan (Outlying Court)	3	3	0	0	0	3	3	
15	Civil Judge (J.D.), Jalalabad (Outlying Court)	0	0	0	0	0	0	0	
	Sub Total	**3**	**3**	**0**	**0**	**0**	**3**	**3**	
	Grand Total	**112**	**36**	**0**	**0**	**12**	**5**	**17**	